

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.—171/2013
 संस्थित दिनांक—01.03.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

मोहम्मद कलीम वल्द मोहम्मद बसीर खान, जाति—मुसलमान, उम्र—34 वर्ष,
 निवासी वार्ड नं. 10 बैहर, थाना बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—20/06/2014 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 (भाग—2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—24.02.2012 को शाम करीब 6:15 बजे ग्राम वार्ड नं. 8 कम्पाउंडर टोला बैहर, थाना बैहर अंतर्गत फरियादी निजामुद्दीन को लोकस्थान या उसकी समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित कर, कुल्हाड़ी को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत निजामुद्दीन को कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उसे संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—24.02.2012 को शाम करीब 6:15 बजे ग्राम वार्ड नं. 8 कम्पाउंडर टोला बैहर, थाना बैहर अंतर्गत फरियादी निजामुद्दीन अपनी मोटरसाईकिल से बस स्टेण्ड गया था, मोटरसाईकिल को दुर्गा स्टेज के सामने खड़ी कर वह ईसाख खान से बात करने लगा तथी आरोपी ने फरियादी को कहा कि तुमने यहाँ मोटरसाईकिल क्यों खड़े किये हो कहकर मां—बहन की अश्लील गालियाँ देने लगा, फरियादी द्वारा अश्लील गालियाँ देने से मना किये जाने पर आरोपी वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी लेकर आया और अश्लील गालियाँ देने लगा तथा कुल्हाड़ी को घुमाने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा, फरियादी द्वारा कुल्हाड़ी छुड़ाने का प्रयास किया गया तो कुल्हाड़ी उसके बांये गाल पर लगी तथा खून निकलने लगा। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में की गई। उक्त घटना की रिपोर्ट पर थाना बैहर द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—24/2013 अंतर्गत धारा को 294, 324, 506 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान

के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, घटना में प्रयुक्त सम्पत्ति को जप्त कर जप्तीनामा तैयार किया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. आरोपी को भा.द.वि. की धारा 294, 324, एवं 506 (भाग-दो) भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया। विचारण के दौरान फरियादी निजामुद्दीन ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी के विरुद्ध शमनीय धारा 294, 506 (भाग-दो) भा.द.वि. का अपराध शमन किया जाकर शेष अपराध धारा 324 भा.द.वि. हेतु आगे विचारण किया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-24.02.2012 को शाम करीब 6:15 बजे ग्राम वार्ड नं. 8 कम्पाउंडर टोला बैहर, थाना बैहर अंतर्गत कुल्हाड़ी को खतरनाक साधन के रूप में उपयोग करते हुए आहत निजामुद्दीन को कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी/आहत निजामुद्दीन (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता हूं। घटना लगभग एक वर्ष पुरानी शाम के 6 बजे बस स्टेण्ड के बारह की है। घटना दिनांक को वह मोटरसाइकिल से बस स्टेण्ड बैहर में खड़ा था तभी आरोपी उसके पास आया, जिससे उसका मौखिक वाद-विवाद हो गया था। इसके अलावा कोई घटना घटित नहीं हुई थी। उसने घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में प्रदर्श पी-1 दर्ज करवायी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे ईलाज हेतु बैहर अस्पताल लेकर गयी थी। पुलिस ने घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6- साक्षी निजामुद्दीन (अ.सा.1) को पक्षद्वोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी को गाली देने से मना किया तो वहां से चला गया था और वापस कुल्हाड़ी लेकर आया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी हाथ में रखे कुल्हाड़ी को घुमाने लगा तथा उसके द्वारा छुड़ाने का प्रयास किये जाने पर उसके बांये गाल में लगी थी। साक्षी ने यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपी कुल्हाड़ी दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-3 का कथन दिये जाने से इंकार

किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी के साथ उसका राजीनामा होने के कारण वह आरोपी को बचाने के लिए आरोपी द्वारा कुल्हाड़ी से मारने वाली तथा कुल्हाड़ी दिखाकर जान से मारने की धमकी देने वाली बात नहीं बता रहा है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से मौखिक वाद विवाद हुआ था। इस प्रकार साक्षी ने घटना के समय आरोपी के द्वारा कथित कुल्हाड़ी को खतरनाक या धारदार साधन से मारपीट करने के तथ्य का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

7- अनुसंधानकर्ता कपूरचंद बिसेन (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है, कि वह दिनांक-25.02.2013 को पुलिस थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक-24/13, धारा-294,324,506 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु थाना प्रभारी द्वारा प्रदान की गई थी। विवेचना के दौरान उसने प्रार्थी की निशानदेही पर घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी से एक कुल्हाड़ी जिसकी लम्बाई फाल सहित 1 फीट 5 इंच को जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी निजामुद्दीन, सत्येन्द्रसिंह, ईशाक के कथन उनके बताये अनुसार दर्ज किया था। अपराध सबूत पाये जाने पर उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 के अनुसार गिरफ्तार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

8. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वयं फरियादी/आहत निजामुद्दीन ने अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। उक्त साक्षी के अलावा अभियोजन की ओर से किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी या महत्वपूर्ण साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। मामले की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी की समर्थनकारी साक्ष्य से अभियोजन मामला प्रमाणित नहीं होता है। आरोपी के विरुद्ध कथित अपराध कारित किए जाने के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव है। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध कथित खतरनाक साधन के द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

8. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि कथित घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने आहत निजामुद्दीन को कुल्हाड़ी या खतरनाक साधन से स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी को धारा-324 भा.द.वि. के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

9. आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।
10. प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)